

**TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(REVENUE DEPARTMENT)  
5, SHAM NATH MARG, DELHI**

F No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./GA/97/P.File/ 1602

Dated: 15/11/11

**NOTIFICATION**

Consequent upon joining in Revenue Department for 42 weeks district training programme **Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer) & Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer)** shall perform various functions as **Tehsildar in District North-West & District South** respectively w.e.f. 05.3.2012 to 01.4.2012. Now, therefore,

1. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97/-In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon **(1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer) (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer)**, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
2. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97/(ii)- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon **(1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer) (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer)**, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
3. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97/(iii)- In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints **(1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer) (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer)** as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, till such time as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
4. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97/(iv)- In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954). the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon **(1) Shri Jitender Yadav, IAS (Probationer) (2) Ms. Sakshi Mittal, IAS (Probationer)** the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

**BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR  
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

  
(Kuldeep Singh Gangar)  
Addl. Secretary (Revenue)

Dated: 15.11.11

F No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./GA/97/P.File. 1602

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
2. The Deputy Commissioner, District North-West & South, New Delhi
3. Officer concerned through Deputy Commissioner, District North-West & South.
4. The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the notification on the website of this department.
5. P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
6. Guard file.

  
(Rajiv Kumar)  
Sub Divisional Magistrate-I (HQ)

*Programmer  
Revised*

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार  
(राजस्व विभाग),  
7 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

सं०. एफ. 7/13/रा. स्थ./स.र./जी०ए०/97/पार्ट फाईल/ 1602

दिनांक : 15.11.11

अधिसूचना

श्री जितेन्द्र यादव, भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी) और कुमारी साक्षी मित्तल भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी) जिन्होंने 42 सप्ताह के लिए आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में राजस्व विभाग में कार्य ग्रहण कर लिया है क्रमशः जिला उत्तर-पश्चिम तथा जिला दक्षिण में तहसीलदार का कार्यभार 05/03/2012 से 01/04/2012 तक संभालेंगे। अतः-


1. सं०. 7/13/रा. स्थ./स.र./97/-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की (उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं० 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री जितेन्द्र यादव, भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी), तहसीलदार (जिला उत्तर-पश्चिम) (2) कुमारी साक्षी मित्तल भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी) तहसीलदार (जिला दक्षिण) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

2. सं०. 7/13/रा. स्थ./स.र./97/ (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर-प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, (1) श्री जितेन्द्र यादव, भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी), तहसीलदार (जिला उत्तर-पश्चिम) (2) कुमारी साक्षी मित्तल भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी) तहसीलदार (जिला दक्षिण) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

3. सं०. 7/13/रा. स्थ./स.र./97/(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डींग अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं० 50) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री जितेन्द्र यादव, भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी), तहसीलदार (जिला उत्तर-पश्चिम) (2) कुमारी साक्षी मित्तल भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी) तहसीलदार (जिला दक्षिण) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

4. सं०. 7/13/रा. स्थ./स.र./97/(iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं० 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री जितेन्द्र यादव, भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी), तहसीलदार (जिला उत्तर-पश्चिम) (2) कुमारी साक्षी मित्तल भा० प्रा० से० (परिवीक्षार्थी) तहसीलदार (जिला दक्षिण) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश तथा उनके नाम पर




(कुलदीप सिंह गंगर)  
अति. सचिव (राजस्व)

दिनांक : 15.11.11

सं०. एफ. 7/13/रा. स्थ./स.र./जी०ए०/97/पार्ट फाईल/ 1602  
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव (सा. प्रा.) रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित।
2. उपायुक्त राजस्व, जिला - दक्षिण व उत्तर-पश्चिम।
3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त जिला - दक्षिण व उत्तर-पश्चिम के माध्यम से।
4. प्रणाली विश्लेषक (System Analyst).
5. सचिव(राजस्व)/मण्डलायुक्त के निजी सचिव, दिल्ली।
6. गार्ड फाईल।



(राजीव कुमार)  
उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु०-1)